

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 1973/भाद्र 13, 1895
No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 1973/BHADRA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September 1973

G.S.R. 420(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 17 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coal Mines (Advisory Board) (Repeal) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Repeal and saving.—The Coal Mines (Advisory Board) Rules, 1973, are hereby repealed, save as respects anything done by the Coal Mines Advisory Board, constituted under rule 3 of the said rules, before such repeal.

[No. 101(5)/73-CH.]

S. B. LAL, Jt. Secy

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1973

जी० एस० आर० 420 (अ).—कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम कोयला खान (सलाहकार बोर्ड) (निरसन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और ध्यावृत्ति.—कोयला खान (सलाहकार बोर्ड) नियम, 1973 को उम बात की बाबत के सिवाय जो उक्त नियमों के नियम 3 के अधीन गठित कोयला खान सलाहकार बोर्ड द्वारा ऐसे निरसन के पूर्व की गई हो, निरसित किया जाता है ।

[सं० 101(5)/73-सी II]

एस० बी० लाल, संयुक्त सचिव ।